

### भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर

### Indian Institute of Information Technology, Nagpur

#### **HOSTEL RULES**

- 1. The Director/Associate Dean/Registrar/Warden reserves the right to permit or deny the admission in hostel to the students. The students can be asked to vacate the room at any time under unavoidable circumstances without giving any reason.
- 2. A new student, on arrival, will report to the Hostel Warden who will permit him to take a room/seat in the hostel after the student has paid his dues and got himself/herself registered. He/she must then report to the supervisor. All students will be required to vacate their rooms as and when required by the Institute/hostel section or before they proceed on vacations.
- 3. When occupying a room a student should check the room, fixtures, fittings, electrical fittings, the furniture and any other articles issued to him/her. He/She will be required to sign a receipt for these and will be responsible for their proper upkeep during his/her stay. He/She will be required to compensate the shortage found when he/she hands over the charge of the room. He/She will also be charged for any damage caused to the fittings and the articles issued to him/her.
- 4. The Wardens of the Hostel will look after the day-to-day working of the Hostel. The hostel inmates will refer their difficulties of a minor nature to the hostel Secretary or other members who will take necessary action. They will bring to the notice of the Supervisor, Assistant Warden, and Warden matters requiring their attention and invariably report all offences connected with discipline. Minor offences in hostels will be dealt with by the Warden. Offences of a major nature in hostel will be referred by him/her to the /Associate Dean who will take suitable action in the matter.
- 5. The warden or institute staff nominated by the Director can inspect the room of any student at any time.
- 6. The Warden/Hostel Authority reserves the right to break open rooms in case of any violation of hostel rules, suspected unlawful activities or on the basis of security risk perceived.
- 7. Students are requested to avoid singing aloud, shouting or making any types of noises which are likely to distract the attention of those who may be studying in their rooms or hostel libraries/lobbies
- 8. Furniture should not be removed from the rooms and used elsewhere either inside or outside the hostel without the permission of the Warden.
- 9. Except for Computer any electrical appliances like heaters TV, DVD Player, etc. are not allowed in hostel rooms. Interference with the electric connections and fittings and unauthorized use of electrical appliances will be severely dealt with.
- 10. Cooler are allowed only in summer (April to June) with prior permission of Hostel Authority and extra charges will be levied.
- 11. The charges for consumption of electricity will be equally divided amongst the occupants in hostel.
- 12. Lights, fans, etc. should be switched on only when needed and must be switched off when not required or when going out of the room. Similarly, water taps must be closed promptly after use.
- 13. No student is allowed to engage a private servant. Also, no pets such as dogs/cats/monkeys etc. are allowed in the hostel.
- 14. Students are cautioned to be very careful about the safety of their belongings. They should close their rooms securely when they leave the room even for short periods or when they are sleeping. Any theft either of a student's personal property or of the Institute property should be reported promptly to the Supervisor/Warden.
- 15. Students should not keep large sums of money or valuable articles with them or in their rooms. They are advised to open a Savings Bank Account in a Bank/Post Office.
- 16. Students are not permitted to consume or take alcoholic drinks and harmful drugs like Lysergic acid diethylamide (LSD), Ganja, Charas etc. within the Hostels/bar in Nagpur or on outside official visits such as training/tour/camp/field work etc. Any infringement of this order or visiting any place declared out of bounds to students will result in disciplinary action against the students concerned.
- 17. Cycles must be kept at cycle stands or at other places earmarked for the same, they must be properly locked. Powered vehicles are not allowed to be used by the students within the institute campus.
- 18. Students should not include in such acts which may disturb others at study or work in the hostel like loud playing of musical instruments or radios or loud singing or dancing etc. Students are not permitted to keep fire-arms or any lethal weapon with them even if they possess a license for it. Students are advised to keep their mobile phones very carefully and safely. Institute shall not entertain any complaint of loss/theft of mobile phones or any personal belongings of the inmates.
- 19. Parents/ Guest are not allowed to enter in the student's room during stay of the students. Students should apply to the Warden for the permission to accommodate them in the guest rooms.
- 20. Students are prohibited from giving shelter to any other student/outsider in their rooms. In case of any unauthorized shelter, the student will be liable to disciplinary action. Unauthorized occupation/shelter to any outsider will be reported to local civil administration for suitable action.
- 21. For the proper management of hostel life, a hostel Committee will be constituted for hostel with the Warden as the Chairman and members to assist him. The main activities of the hostel Council will be to look after hostel upkeep. The welfare, of inmates, recreational, cultural and disciplinary activities shall be entrusted to it.
- 22. Students, unless specially permitted, will be allowed to occupy the rooms allotted to them in their hostel only 03 days prior to commencement of their academic session. Likewise they must vacate their rooms within 05 days of the closure of their academic session. They will render themselves liable to disciplinary action and payments at enhanced rates for any unauthorized occupation beyond the stipulated period mentioned above.
- 23. Before proceeding on summer vacation, students must handover the charge of their rooms, furniture and fittings etc. to the hostel Supervisor/Caretaker and get a receipt from him. If any student fails to do so, the Warden is authorized to break/open a locked room and make an inventory of the articles found therein. The student concerned will be fully responsible for any shortage found in the hostel property handed over to him. No responsibility will be accepted by the Institute for the private belongings of the students found in such rooms.
- 24. Students are prohibited from screening/keeping obscene literature/video films in their possession. Any violation in this regard will result in disciplinary action.
- 25. Students are prohibited from doing any obscene acts in the hostel/departments/institute campus. Any violation in this regard will result in disciplinary action.
- 26. Students should not fix posters, notices, pictures, or anything that might damage the surface of the walls of the Hostel. They should not attempt to make duplicate keys of the Hostel rooms or any Hostel property therein.
- 27. It may be noted that the security staff in general and guards on duty at the hostel block in particular can observe the conduct of the students. They are authorized to intervene in quarrel amongst students, stop the students shouting or disturbing others, prevent them from smoking, to name a few.
- 28. All hostel inmate should adhere to campus timing strictly



## भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर

# Indian Institute of Information Technology, Nagpur

#### छात्रावास नियम

- निदेशक/सहयोगी डीन/ कुलसचिव /छात्रावास प्रबंधक छात्रों को छात्रावास में प्रवेश की अनुमित देने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरिक्षत रखते हैं। अपिरहार्य पिरिस्थितियों में किसी भी समय बिना कोई कारण बताए छात्रों को कमरा खाली करने के लिए कहा जा सकता है।
- 2. नए छात्र के आगमन पर, वह छात्रावास प्रबंधक को रिपोर्ट करेगा, जो छात्र द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने और खुद को पंजीकृत कराने के बाद छात्रावास में एक कमरा/सीट लेने की अनुमित देगा। उसके बाद उसे पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करना होगा। सभी छात्रों को संस्थान/ छात्रावास अनुभाग द्वारा आवश्यक होने पर या छुट्टियों पर जाने से पहले अपने कमरे खाली करने होंगे।
- 3. आवंटित कमरे में रहने से पूर्व एक कमरे में फिटिंग, बिजली की फिटिंग, फर्नीचर और उसे जारी किए गए किसी भी अन्य सामान की जांच करनी चाहिए। उसे इनके लिए एक रसीद पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी और वह अपने वास्तव्य के दौरान उनके उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा/होगी। जब वह छुट्टियों पर जाने से पहले कमरे का प्रभार सौंपेगा/ सौंपेगी तो कमरे में पाई गई कमी की भरपाई करनी होगी। बिजली फिटिंग और उसे जारी की गई वस्तुओं को हुई किसी भी क्षित के लिए छात्र को भुगतान करना होगा
- 4. छात्रावास के छात्रावास प्रबंधक के दिन-प्रतिदिन के कार्य देखेंगे। छात्रावास निवासी अपनी निम्न किठनाइयों की शिकायत छात्रावास सचिव अथवा अन्य सदस्यों को करेंगे जो आवश्यक कार्यवाही करेंगे। वे पर्यवेक्षक, सहायक छात्रावास प्रबंधक और छात्रावास प्रबंधक के संज्ञान में लाएंगे जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अनुशासन से जुड़े सभी अपराधों की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से करेंगे। छात्रावासों में मामूली अपराधों को छात्रावास प्रबंधक द्वारा निपटाया जाएगा। छात्रावास में गंभीर प्रकृति के अपराधों को उनके द्वारा सहयोगी डीन को भेजा जाएगा जो मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।
- 5. निदेशक द्वारा नामित छात्रावास प्रबंधक या संस्थान के कर्मचारी किसी भी समय किसी भी छात्र के कमरे का निरीक्षण कर सकते हैं।
- 6. छात्रावास प्रबंधक / छात्रावास प्राधिकरण, छात्रावास के नियमों के किसी भी उल्लंघन, संदिग्ध गैरकानूनी गतिविधियों या कथित सुरक्षा जोखिम के आधार पर कमरे को खोलने एवं दरवाजा तोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 7. छात्रों से अनुरोध है कि वे जोर से गाने, चिल्लाने या किसी भी प्रकार का शोर न करे। ताकि जो छात्र उनके कमरे या छात्रावास के पुस्तकालयों / लॉबी में पढ़ रहे लोगों का ध्यान भंग हो सकता है
- 8. छात्रावास प्रबंधक की अनुमति के बिना फर्नीचर को कमरों से हटाकर छात्रावास के अंदर या बाहर कहीं और उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- 9. छात्रावास के कमरों में कंप्यूटर को छोड़कर, हीटर, टीवी, डीवीडी प्लेयर आदि जैसे बिजली उपकरणों के उपयोग की अनुमित नहीं है। बिजली के कनेक्शन और फिटिंग में हस्तक्षेप और बिजली के उपकरणों के अनिधकृत उपयोग से सख्ती से निपटा जाएगा।
- 10. छात्रावास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से केवल गर्मियों (अप्रैल से जून) में कूलर की अनुमति अतिरिक्त शुल्क भरकर दी जाएगी।
- 11. बिजली की खपत के शुल्क छात्रावास में रहने वालों छात्र के बीच समान रूप से विभाजित किए जाएंगे।
- 12. कमरे के लाइट, पंखा आदि जरूरत पड़ने पर ही चालू करना चाहिए और जरूरत न होने पर या कमरे से बाहर जाते समय बंद कर देना चाहिए। इसी तरह, पानी के नलों को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए।
- 13. किसी छात्र को निजी नौकर रखने की अनुमति नहीं है। साथ ही, छात्रावास में पालतू जानवर जैसे कुत्ते/बिल्ली/बंदर आदि रखने की अनुमति नहीं है।
- 14. छात्रों को आगाह किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा के प्रति बहुत सावधान रहें। जब वे थोड़े समय के लिए भी कमरे से बाहर निकलें या जब वे सो रहे हों तो उन्हें अपने कमरे सुरक्षित रूप से बंद कर देने चाहिए। किसी छात्र की निजी संपत्ति या संस्थान की संपत्ति की किसी भी चोरी की सूचना तुरंत पर्यवेक्षक/ छात्रावास) प्रबंधक को दी जानी चाहिए।
- 15. छात्रों को अपने पास या अपने कमरे में बड़ी रकम या कीमती सामान नहीं रखना चाहिए। उन्हें बैंक/डाकघर में बचत बैंक खाता खोलने की सलाह दी जाती है।
- 16. छात्रों को छात्रावास / नागपुर में बार के भीतर या बाहरी आधिकारिक यात्राओं जैसे प्रशिक्षण/दौरे/शिविर/क्षेत्र कार्य आदि पर मादक पेय और हानिकारक दवाओं जैसे लाइसेर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड (एलएसडी), गांजा, चरस आदि का सेवन करने या पास में रखने की अनुमित नहीं है। इस आदेश के किसी भी उल्लंघन या छात्रों के लिए प्रतिबंधित घोषित किसी भी स्थान पर जाने से संबंधित छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 17. साइकिलों को साइकिल स्टैंड में या इसके लिए चिन्हित अन्य स्थानों पर रखा जाना चाहिए, उन्हें ठीक से ताला लगाया जाना चाहिए। संचालित वाहनों को संस्थान परिसर के भीतर छात्रों द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- 18. छात्रों को ऐसे कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए जो छात्रावास में अध्ययन या काम में दूसरों को परेशान कर सकते हैं जैसे संगीत वाद्ययंत्र या रेडियो को तेज आवाज में बजाना या जोर से गाना या नृत्य करना आदि। छात्रों को अपने साथ आग्नेयास्त्र या कोई घातक हथियार रखने की अनुमति नहीं है। भले ही उनके पास इसका लाइसेंस हो। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाइल फोन बहुत सावधानी से और सुरक्षित रखें। संस्थान मोबाइल फोन एवं किसी भी प्रकार के निजी सामान के खोने/चोरी होने की किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेगा।
- 19. छात्रों के अधिवास के दौरान माता-पिता/अतिथि को छात्र के कमरे में प्रवेश करने की अनुमित नहीं है । छात्रों को अतिथि कक्षों में उन्हें ठहराने की अनुमित के लिए छात्रावास प्रबंधक को आवेदन करना चाहिए।
- 20. छात्रों को अपने कमरे में किसी अन्य छात्र/बाहरी को आश्रय देने की मनाही है। किसी भी अनिधकृत आश्रय के मामले में, छात्र अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति के अनिधकृत कब्जे/आश्रय की सूचना उपयुक्त कार्रवाई के लिए स्थानीय नागरिक प्रशासन को दी जाएगी।
- 21. छात्र के छात्रावास जीवन के समुचित प्रबंधन के लिए एक छात्रावास समिति का गठन किया जाएगा जिसमें छात्रावास प्रबंधक अध्यक्ष तथा सदस्य उनकी सहायता के लिए होंगे। छात्रावास परिषद की मुख्य गतिविधियां छात्रावास के रखरखाव एवं देखभाल करना होगा। छात्र के कल्याण, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अनुशासनात्मक गतिविधियों को इसे सौंपा जाएगा।
- 22. छात्रों को, जब तक कि विशेष रूप से अनुमित नहीं दी जाती है, उन्हें उनके छात्रावास में आवंटित कमरों में उनके शैक्षणिक सत्र शुरू होने से 03 दिन पहले आने / रहने की अनुमित दी जाएगी। इसी तरह उन्हें अपने शैक्षणिक सत्र की समाप्ति के 05 दिनों के भीतर अपने कमरे खाली करने होंगे। वे ऊपर उल्लिखित निर्धारित अविध से परे किसी भी अनिधकृत कब्जे के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई और बढ़ी हुई दरों पर भुगतान के लिए खुद को उत्तरदायी बनाएंगे।
- 23. ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जाने से पूर्व छात्रों को अपने कमरे, फर्नीचर एवं फिटिंग आदि का प्रभार छात्रावास पर्यवेक्षक/केयरटेकर को सौंपकर उनसे रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि कोई छात्र ऐसा करने में विफल रहता है, तो छात्रावास प्रबंधक उनके बंद कमरे को तोड़ने/खोलने और उसमें पाए जाने वाले सामानों की एक सूची बनाने के लिए अधिकृत होता है। उसे सौंपी गई छात्रावास की संपत्ति में किसी भी कमी के लिए संबंधित छात्र पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। ऐसे कमरों में पाए गए छात्रों के निजी सामान के लिए संस्थान द्वारा कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 24. छात्रों को अपने पास अश्लील साहित्य/वीडियो फिल्म दिखाना/रखना प्रतिबंधित है। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 25. छात्र/छात्राओं को छात्रावास/विभाग/संस्थान परिसर में कोई भी अश्लील हरकत करने पर प्रतिबंध है। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी
- 26. छात्रों को छात्रावास की दीवारों पर पोस्टर, नोटिस, चित्र या ऐसा कुछ भी नहीं लगाना चाहिए जो छात्रावास की दीवारों की सतह को नुकसान पहुंचा सकता हो। उन्हें छात्रावास के कमरों या छात्रावास की किसी ताले की डुप्लीकेट चाबियां बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
- 27. छात्रों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य रूप से सुरक्षा कर्मचारी और विशेष रूप से छात्रावास में तैनात सुरक्षा कर्मचारी छात्रों के आचरण का निरीक्षण कर सकते हैं। वे छात्रों के बीच झगड़े में हस्तक्षेप करने, छात्रों को चिल्लाने या दूसरों को परेशान करने से रोकने, उन्हें धूम्रपान करने से रोकने, आदि के लिए अधिकृत हैं।
- 28. सभी छात्रावास वासियों को छात्रावास परिसर के समय का कड़ाई से पालन करना चाहिए।